न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 33/2015

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1 पुष्पराज पुत्र अम्बाशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी भन्दर तहसील बाली		1 ग्राम पंचायत भन्दर पंचायत समिति बाली 2 ताराचन्द पुत्र रमेशकुमार जाति ब्राहम्ण निवासी भन्दर 3 दुर्गादेवी पत्नि रमेशकुमार जाति ब्राहम्ण निवासी भन्दर 4 दीपककुमार गोदपुत्र खेमराज जाति ब्राहम्ण निवासी भन्दर

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. श्री पी0एम0 जोशी, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण

–: निर्णय :–

दिनांक 19.12.2017

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत भन्दर द्वारा मिसल संख्या 114/1998 में पारित प्रस्ताव संख्या 8 (12) दिनांक 26.12.1998 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 1970 दिनांक 20.05.1999 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि स्व0 खेमराज द्वारा दिनांक 02.10.1998 को सरपंच ग्राम पंचायत भन्दर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पुश्तैनी मकान में खेमराज का आधा हिस्सा, पुष्पराज पुत्र अम्बाशंकर का 1/4 हिस्सा तथा ताराचन्द, दीपककुमार का 1/4 हिस्सा बताकर पट्टा जारी कराने का निवेदन किया। आवेदन पत्र पर दिनांक 02.10.1998 अंकित है, जिस पर सरपंच ग्राम पंचायत भन्दर द्वारा एक दिन पूर्व की दिनांक अर्थात 01.10.1998 में मिसल दर्ज करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं पट्टे सम्बन्धी कार्यवाही सम्पादित की है, जो आरम्भ से ही दूषित है। जैर निगरानी पट्टे की भूमि के सम्बन्ध में आपत्ति आमन्त्रित करने हेतु जो नोटिस जारी किया गया है, वह हस्तलिखित है, जिसके नोटिस बोर्ड पर चस्पांगी के सुरेश कुमार के हस्ताक्षर है एवं मौके पर चस्पांगी के कमलाकुमारी एवं अरूणाकुमार के नाम अंकित किया गया है, जबकि इनकी सकूनत आदि अंकित नही है। मौका नक्शा कब तैयार किया गया, दिनांक ही अंकित नहीं है। इस सम्बन्ध में दो पट्टे जारी किये गये, जिसमें से एक पट्टे को काट कर दूसरा पट्टा जारी किया गया। इस प्रकरण में आवेदन पत्र दिनांक 02.10.1993 का प्रस्तुत होता है, उससे पूर्व ही बिना आवेदन पत्र के मिसल कायम की गई है। पत्रावली न तो मिटींग में रखी गई, न ही तीन

अति. जिला कलक्टर, पाली

पंचों को मोका निरीक्षण हेतु मनोनीत करने का कोई प्रस्ताव लिया गया तथा न ही पंचों की कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई। नियम 147 के तहत पंचायत को बोर्ड मिटींग में विक्रय करने अथवा नही करने का प्राथमिक निर्णय की अवधारणा करने का है तथा आवेदन खारित करने अथवा प्रक्रिया आगे बढाने का नियम है, किन्तु इस प्रकरण में न तो कोई बोर्ड का प्राथमिक निर्णय है, न ही बोर्ड की मिटींग में पत्रावली रखी गई। सम्पूर्ण कार्यवाही विधि विरूद्ध रूप से की गई। उक्त जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे की जानकारी अप्रार्थीया दुर्गादेवी द्वारा प्रार्थी को जारी नोटिस से हुई। जिसमें दुर्गादेवी द्वारा ताराचन्द एवं दीपककुमार से बख्शीशनामा में हिस्सा उसके पक्ष में बख्शीश करने एवं खेमराज द्वारा दीपककुमार को गोद लेने एवं दीपककुमार द्वारा दिनांक 13.03.2012 को अपना हिस्सा बख्शीश करने से उसका 3/4 हिस्सा होने एवं प्रार्थी का 1/4 हिस्सा होने का कथन किया गया है। खेमराज की मृत्यु हो चुकी है। आवेदक के तथाकथित आवेदन में पश्चातवर्ती रूप से रमेशकुमार का नाम अंकित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। पंचायत की पत्रावली में न तो आवेदन निर्धारित प्रपत्र में है, न ही सूचना पत्र निर्धारित प्रपत्र में है, न मौका रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में है। सभी हस्तलिखित है, जिस पर पंचायत की मोहर भी अंकित नही है एवं न ही ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के हस्ताक्षर है। समस्त कार्यवाही मिलावट करते हुए विधि विरूद्ध रूप से सम्पादित की गई है। इस कारण जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नही है। अतः निगरानी स्वीकार करावे एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त करावे। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में डी0एन0जे0 (राज)1995 पेज 458, आर0एल0आर0 1996 (1) पेज 27, डी0एन0जे0 2009 (1)(राज) पेज 262, आर0एल0आर0 2004 (1) पेज 237, डी0एन0जे0 (राज) 2005 पेज 963, डी0एन0जे0 (राज) 2003 (1) पेज 449, डी0एन0जे0 (राज) 2016 (3) पेज 1202, आर0एल0आर0 2000 (1) पेज 478 तथा डी0एन0जे0 (राज)1995 पेज 415 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर निगरानी पट्टे की भूमि के मालिकाना हक बाबत प्रार्थी के पास कोई दस्तावेज नही है। अप्रार्थी पुष्पराज अम्बाशंकर का पुत्र है। उक्त सम्पति पूर्व में नाथूराम की थी। नाथूराम के दो पुत्र हुए – खेमराज एवं अम्बाशंकर। खेमराज के कोई पुत्र नही था तथा अम्बाशंकर के दो पुत्र क्रमश रमेशकुमार एवं पुष्पराज हुए। रमेश कुमार के दो पुत्र दीपककुमार एवं ताराचन्द है। खेमराज के कोई पुत्र नही होने के कारण खेमराज द्वारा रमेशकुमार के पुत्र दीपककुमार को गोद लिया गया, जो गोदनामा रजिस्टर्ड है। इस प्रकार खेमराज का 1/2 हिस्सा दीपककुमार में निहित हुआ। अम्बाशंकर के 1/2 हिस्से में रमेश कुमार एवं पुष्पराज हुए, जिनका पृथक पृथक 1/4 – 1/4 हिस्सा आता है। दीपककुमार एवं ताराचन्द द्वारा अपना हिस्सा रमेशकुमार की पत्नि दुर्गादेवी के पक्ष में बख्शीश किया है, जो बख्शीशनामा उप पंजीयक बाली से पंजीबद्ध है। उक्त हिस्से अनुसार खेमराज द्वारा सद्भाविक रूप से आवेदन पत्र ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया। ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन पत्र दर्ज कर विधिवत मिसल कायम की। इसके पश्चात ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव द्वारा नक्शा मौका तैयार किया गया। उसके पश्चात पंचो द्वारा मौका निरीक्षण किया गया तथा अस्थाई निर्णय लिया गया है। इसके पश्चात राशि जमा होन के बाद जैर

अति. जिला कलेक्टर, पाली

निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक अनियमितता नही है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा यदि किसी प्रकार की प्रक्रियागत त्रुटी रखी जाती है, तो इसके लिये पक्षकार को दोषी नही ठहराया जा सकता है। जैर निगरानी पट्टे की भूमि पुश्तैनी भूमि है, जिस पर कब्जे एवं हिस्से के अनुरूप आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा उसी के अनुसार जैर निगरानी पट्टा जारी हुआ है। जहां तक प्रक्रिया का प्रश्न है, तो इस प्रकार की समस्या दृष्टिगोचर होने पर सरकार द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक/एफ.4( )विधि/परावि/2011/1134 दिनांक 01.07.2011 के जरिये यह स्पष्ट किया कि नियम 157 एवं 158 के अन्तर्गत आवंटन व पट्टा जारी करने के लिये नीलामी द्वारा आवंटन किये जाने सम्बन्धी प्रक्रियात्मक प्रावधान नियम 145 से 156 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया की पालना अपेक्षित/आवश्यक नही है। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नही है। अतः निगरानी खारिज करावे। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में आर0आर0टी0 20 5 (2) पेज 967, डी0एन0जे0 (राज) 2008 (2) पेज 735, डी0एन0जे0 (राज) पेज 1999 पेज 103, डी0एन0जे0 (राज.) 1999 पेज 437, डी0एन0जे0 (राज) 2002 (1) पेज 307 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के प्रत्युत्तर में कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा जारी करने की आपत्ति सूचना मौके पर चस्पा ही नही की गई, यदि चस्पा की गई होती, तो हम अवश्य ही आपत्ति प्रस्तुत करते। जिस वंशावली के आधार पर अप्रार्थी अपना हक जता रहे है, वह वंशावली किसी भी रूप में मान्य योग्य नही है। पट्टे को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को होने से इस न्यायालय के समक्ष चाराजोही की जा रही है। वकील अप्रार्थी जिस परिपत्र की आड में प्रक्रिया को आवश्यक नही होना बताते है, वह परिपत्र वर्ष 2011 का है तथा जैर निगरानी पट्टा वर्ष 1998 में जारी किया गया है। भूतलक्षी प्रभाव से कोई भी कानून लागू नही होता है। जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, वह पूर्णतः विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत भन्दर द्वारा मिसल संख्या 114/1998 में पारित प्रस्ताव संख्या 8 (12) दिनांक 26.12.1998 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 1970 दिनांक 20.05.1999 के विरूद्ध पेश की गई है। खेमराज पुत्र नाथुराम द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत भन्दर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने निर्मित पुश्तैनी मकान का पट्टा बनाने का निवेदन किया, जिसमें मकान के हिस्सेदारान के तौर पर खेमराज पुत्र नाथुराम का 1/3 हिस्सा, पुष्पराज पुत्र अम्बाराकर ब्राह्मण 1/4 तथा ताराचन्द, दीपककुमार पुत्र रमेशकुमार ब्राहम्ण का 1/4 हिस्सा होना अंकित किया। इस पर दिनांक 01.10.1998 को मिसल कायम कर आपत्ति सूचना जारी करने एवं मौका नक्शा की पुष्टि करने के आदेश पारित किये। इस आदेश की पालना में नक्शा मौका तैयार किया गया तथा दिनांक 12.10.1998 को आपत्ति मांगने हेतु सूचना जारी की गई। जो दो मौतबिरान के समक्ष मौके पर चस्पा की गई। इसके पश्चात दिनांक 26.12.1998 को समस्त जांच की जाकर पंचायत कोरम में प्रस्ताव संख्या 8 (12) की अनुपालना में

अति. जिला कलेक्टर, पाली

प्रकरण विनियमितिकरण का पाये जाने पर पट्टा शुल्क 100/– रूपये एवं नक्शा तैयारी शुल्क 25/– रूपये जमा होने पर पट्टा जारी करने के आदेश पारित किये गये। इसके पश्चात भी राशि जमा नही करवाने पर आदेशिका दिनांक 12.01.1999 के जरिये पुनः राशि जमा कराने हेतु आदेशित किया गया तथा इस आदेश की पालना में दिनांक 04.02.1999 को खेमराज पुत्र नाथुराम, पुष्पराज पुत्र अम्बाशंकर, ताराचन्द, दीपककुमार पुत्र रमेशकुमार को उक्त राशि जमा करवाने हेतु नोटिस जारी किया गया, जो नोटिस खेमराज द्वारा तामील किया गया है। इसके पश्चात मिसल के प्रार्थीगण द्वारा जरिये रसीद संख्या 83 दिनांक 11.02.1999 के वांछित राशि कोष में जमा करवाये जाने पर जैर निगरानी आज्ञा की पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत है। ग्राम पंचायत द्वारा के समक्ष खेमराज द्वारा सद्भाविक रूप से उक्त भूमि अपनी पुश्तैनी होना बताते हुए भूमि में अपने अपने हिस्से अनुसार सामूहिक पट्टा जारी कराने का निवेदन किया, जिसकी पालना में ग्राम पंचायत द्वारा मिसल कायम की जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नही है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत डी.एन.जे. (राज.) 1995 पेज 458 धनराज व अन्य बनाम अतिरिक्त कलक्टर गंगानगर में यह प्रतिपादित किया कि राजस्थान पंचायत और न्याय पंचायत (सामान्य) नियम 1961 नियम 255 से 265 आबादी भूमि के विक्रय हेतु विस्तार से प्रक्रिया प्रकट नही की है, प्रस्तुत मामले में यह प्रक्रिया नही अपनाई गई। विक्रय को अभिखण्डित किया गया। इसी प्रकार डी0एन0जे0 (राज.) 2009 (1) पेज 202 भूराराम व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में यह नियमों के उल्लंघन में पट्टा निरस्त करने को सही माना है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत अन्य न्यायिक सिद्धान्त सम्माननीय है, किन्तु हस्तगत प्रकरण पर चस्पा योग्य नही है। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अधिकांश न्यायिक सिद्धान्त परिसीमा पर आधारित है। इस सम्बन्ध में आर0एल0आर0 2000 (2) चिमनलाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य में भी वृहदपीठ द्वारा यह व्यवस्था प्रदान की है कि "No Period of Limitation provided either u/s 27-A of the Act or u/R272 of the Rules for exercising revisional power---Wather revisional power can be exrcised at any time – Held, when no period of limitation is provied either under Act or Rules then power has to exercised within reasonable time and reasonable time will depend upon facts and circumstances of each case" इस प्रकार जिन नियमों में परिसीमा विहित नही है, वहां परिसीमाकाल की संगणना प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों पर आधारित होना माना है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा मात्र प्रक्रियात्मक त्रुटी के आधार पर निगरानी प्रस्तुत की है। डी0एन0जे0 (राज) 1999 पेज 459 हेमराज व अन्य बनाम लक्ष्मीनारायण व अन्य में अभिनिर्धारित किया कि "न्यायालय के पीठासीन अधिकारी एवं न्यायालय के अधिकारीगण की त्रुटी के लिये पक्षकार पीड़ित नही होना चाहिये।" इसी प्रकार प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार भी न्यायालय की गलती की सजा पक्षकार को नही दी जा सकती है। मात्र प्रक्रियात्मक त्रुटी के आधार पर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत भन्दर द्वारा मिसल संख्या 114/1998 में पारित

अति. जिला कलेक्टर, पाली

प्रस्ताव संख्या 8 (12) दिनांक 26.12.1998 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 1970 दिनांक 20.05.1999 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत भन्दर का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 19.12.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली